## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 82/25 GCMS NO 2025/125

1. धर्म सिह पुत्र श्रीकिशन
2. हरिसिह पुत्र श्रीकिशन
3. मिश्रीलाल पुत्र श्रीकिशन जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम विजयपुरा तहसील बसवा जिला दौसा

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र धन्ना
2. भीमा पुत्र धन्ना
3. धारा सिह पुत्र माधो
4. दरब सिह पुत्र माधो
5. तारा सिह पुत्र माधो
6. मूली पत्नि माधो
7. हरमुख पुत्र रघुवीर समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती
9. सब रजिस्ट्रार उप तहसील गुढाचन्द्रजी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 34/25 निर्णय दिनांक 27.6.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी

अभिभाषक रैस्पो0 श्री कृष्ण मोहन शर्मा

दिनांक 29.9.2025

### निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायलान की खातेदारी एवं काश्तकारी भूमि खसरा न0 546 रकबा 0.18 है0 , 576 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 स्थित ग्राम राजाहेडा तहसील नादौती मे स्थित है। जो कि सायलान की खातेदारी एवं काश्तकारी भूमिया रही है जिनका राज जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 तक दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड था। सायलान की उक्त भूमि पैतृक खातेदारी भूमि है। सायलान विजयपुरा तहसील बसवा मे निवास करते है एवं बहार रहते है। जिसका [illegible] एवं उनके पूर्वजो ने सायलान की भूमि मे अवैधानिक तरीके से रहन दर्ज करवा लिया [illegible]। जिसकी मुताबिक कानून रजास्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 43 के तहत समय सीमा भी [illegible] चुकी है। समय सीमा पूर्ण होने के कारण सायलान की खातेदारी पर से [illegible] हटाया जाना न्याय[illegible] एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आवश्यक है। मुताबिक रेवेन्यू रिकार्ड सायलान का नाम यथावत चला आ रहा था किन्तु सैकरीकेशन के दौरान गेरसायलान ने राजस्व कर्मियो से साज कर विधि विरूद्व तरीके से जमाबंदी एवं राजस्व रिकार्ड रहन हटाया जाना था किन्तु राजस्व कर्मियो से साझ कर रहन हटाने की जगह गेरसायलान को खातेदार दर्ज कर दिया गया। जो कि अवैधानिक है। उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर गैरसायलान का नाम हजफ किया जाकर सायलान का नाम राजस्व रिकार्ड मे किया जावे। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान उक्त आराजीयात पर जबरन निर्माण करने व दीगर व्यक्तियो को बेचान करने पर आमादा है। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी हाल खसरा न0 546 व 576 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 स्थित ग्राम राजाहेडा तहसील नादौती की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान नही करे तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकार्ड होने से काबिले मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने से पूर्व अपना ज्यूडिशियल माइण्ड का उपयोग नही कर विवादित निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का एवं अपीलांट द्वारा पेश कानूनो का सही तरीके से अवलोकन एवं अध्ययन नही कर तथा मनमाने तरीके से उक्त विवादित निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 43 आर टी एक्ट के महत्वपूर्ण निर्णय मुकदमा उनवानी मदनलाल व अन्य बनाम माधो व अन्य 1996 आर आर डी पेज 350 व 352 मे यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कानून की स्थिति स्पष्ट है कि केवल खसरा बन्दोबस्ती महकमा या राजस्व रिकार्ड मेइस बात का इन्द्राज आ जाने से यह जमीन खातेदार द्वारा रहन बिलकब्ज की गई। इस बात को सिद्व नही कर सकता कि इन्द्राज के आधार पर यह मान लिया जावे कि यह रहन बिलकब्ज करना सिद्व हो गया है। विशेषकर उन परिस्थितियो मे जबकि उस बारे मे उस इन्द्राजात से यह बात सिद्व नही होती हो कि उसके बारे मे कोई दस्तावेज लिखा गया हो और वे दस्तावेज भी पेश ना हो और ना ही उसके बारे मे कोई इन्द्राजात/दस्तावेज पेश किया गया हो तथा ना ही किसी गवाह की शहादत पेश की गई हो कि यह रहन कब किया गया, मानने योग्य नही है। उक्त नि[illegible] कानूनी दृष्टांतो को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 ने अपने जवाब मे प्रार्थना पत्र के साथ कोई ऐसा सबूत दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पेश नही किया जिससे रिकार्ड पर यह साबित होता हो कि अपीलाटगण के बुजुर्गो ने रेस्पो0 के बुजुर्गो के हक मे कोई रहन नामा या कोई तहरीर की है। कोई दस्तावेजी सबूत रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 के द्वारा पेश नही करने के पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से उक्त विधि विरुद्ध निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। जो काबिले मंसूखी है। अपीलांट विवादित आराजीयात के खातेदार एवं काबिज है इसलिए रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 को अधिकार प्राप्त नही है कि वह अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात मे किसी प्रकार की मदालखत या प्रवेश करे। इसके विपरीत सही तथ्य यह है कि अपीलांटगण ही उक्त समस्त आराजीयात के खातेदार काश्कार एवं काबिज है और रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 को किसी प्रकार से भी उक्त आरजीयात मे दखलअंदाजी करने का अधिकार नही है और जो इन्द्राज खातेदारी मे रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 के नाम हो गये है उनको दुरूस्त करवाकर उक्त खातेदारी मे से रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 का नाम हजफ किया जाना आवश्यक है। अपीलांटगण उक्त आराजीयात के खातेदार,काश्तकार व काबिज है इसलिए अपीलांटगण का यह प्रबल प्राईमाफेसी केस है तथा सुख सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष मे है। यदि रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो रेस्पो0 अपीलांटगण की आराजीयात को खुर्द बुर्द करने एवं बर्बाद करने मे सफल हो जावेगे। जिससे अपीलांटगण को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी। इस प्रकार तीनो बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष मे साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेखा कर अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया है। जो निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द नही करे तथा रहन बय नही करे तथा अपीलांटगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांटगण/सायलान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे झूठे एवं बेबुनियादी तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। विवादित आराजी खसरा न0 546 व 576 ग्राम राजाहेडा राजस्व रिकार्ड मे अपीलांटगण के नाम दर्ज है। लेकिन उक्त भूमि जिसका एकीकरण से पूर्व खसरा न0 141 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा रहा है ,जिसको सायलान/अपीलांटगण के बुजुर्ग बुद्वा बल्द रामचन्द के द्वारा सवंत 2003 से पूर्व ही रेस्पो0 के बुजुर्ग सुखा उर्फ रामसुखा बल्द छाजू के यहॉ रहन बिल कब्ज कर दिया और उक्त रहन के आधार पर उक्त आराजीयात पर रेस्पो0के बुजुर्ग काबिज हो गये और उसका इन्द्राज जमाबंदी मे दर्ज हो गया। जो कि भूमि एकीकरण से पूर्व की खतौनी बंदोबस्त संबवत 2003 से बखूबी साबित है। उक्त आराजीयात पर रेस्पो0 के बुजुर्ग काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है इस प्रकार रेस्पो0 का कब्जा बुजुर्गान उक्त आराजीयात पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही निरन्तर चला आ रहा है। मौके पर अपीलांटगण का कोई कब्जा नही है। मुताबिक कानून रेस्पो0 उक्त आराजीयात के धारा 15 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसरण मे खातेदार काश्तकार हो चुके है और अपीलांट के कूननन धारा 63 आर टी एक्ट के तहत उनके अधिकार उक्त आराजीयात के संबंध मे समाप्त हो चुके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Palot
Date: 2026.04.16 15:25:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संबंत 2062 से 2065 मे अपीलांट का नाम का इन्द्राज विलकुल गलत व खिलाफ कूनन रहा है। अपीलांटगण के बुजुर्गान द्वारा उक्त आराजीयात को संवत 2003 से पूर्व ही रेस्पो0 के पूर्वजो के यहा रहन बिल कब्ज कर दिया और अपीलांट के बुजुर्ग तभी से गांव छोडकर चले गये। इस प्रकार रेस्पो0 के बुजुर्गान का संबंत 2003 से पूर्व से ही कब्जा रहा है अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही रहा है। इस प्रकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व सन 1945 से ही रेस्पो0 के बुजुर्गान उक्त भूमि पर बतौर मुर्तहीन काबिज रहे है और मुताबिक कानून आर टी एक्ट की धारा 15 के तहत उक्त आराजी पर रेस्पो0 के बुजुर्गान खातेदार हो गये है। और धारा 63 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत अपीलांट के अधिकार उक्त भूमि से समाप्त हो गये है। रेस्पो0 का टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। मुताबिक कानून उक्त आराजीयात से अपीलांट का नाम हजफ किया जाकर रेस्पो0 के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजीयात मे रेस्पो0 द्वारा कुछ भूमि मे दासाबंदी कर निर्माण किया जा रहा है। तथा कुछ भूमि मे तारबंदी पूर्वजो के समय से ही चली आ रही है। विवादित आराजीयात के खातेदारी अधिकारो का निर्धारण दावे मे साक्ष्य उपरान्त तय हो सकेगे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा नही माना है। प्रकरण मे प्रथम दृष्टया केस अपीलांट के पक्ष मे साबित नही है ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलांट के पक्ष मे साबित है बल्कि रेस्पो0 के पक्ष मे बखूबी साबित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिक आदेश है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गय। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि भूमि खसरा न0 546 रकबा 18 ऐयर, 576 रकबा 17 ऐयर, कुल किता 2 कुल रकबा 35 ऐयर ग्राम राजाहेडा तहसील नादौती जो अपीलांटगण की खातेदारी भूमि रही है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 से स्पष्ट है। जिसे रेस्पो0/गेरसायलान द्वारा अवैधानिक तरीके से रहन दर्ज करवा लिया गया। जो टीनेन्सी एक्ट की धारा 43 के तहत समय सीमा समाप्त होने से रहन से मुक्त हो चुकी है। रेस्पो0 के अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादित भूमि को सायलान के बुजुर्ग बुद्वा वल्द रामचन्द्रा के द्वारा सबंत 2003 से पूर्व ही रेस्पो0 के बुजर्ग सुखा उर्फ रामसुखा बल्द छाजू के यहॉ रहन बिल कब्ज कर दिया गया और उसी रहन के आधार पर रेस्पो0 के बुजुर्ग काबिज हो गये। रेस्पो0 का विवादित भूमि पर विगत 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त है। विवादित भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे पूर्व मे अपीलांटगण के बुजुर्गान के समय संवत 2003 मे रहन के द्वारा भूमि पर कब्जा काश्त रेस्पो0 का चला आ रहा है इस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। विवादित आराजीयात के खातेदारी अधिकार न्यायालय मे विचाराधीन दावे मे साक्ष्य सबूत के उपरान्त तय होगे। भूमि किसी प्रकार से हस्तांतरित नही हो तथा पक्षकारो के मध्य वाद वाहुलता की स्थिति उत्पन्न नही हो। इस कानूनी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्षकारान को विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किया जाना विधि सम्मत है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती के मु0नं0 34/25 मे पारित निर्णय दिनांक 27.6.25 को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजीयात खसरा न0 546 रकबा 0.18 है0 एवं खसरा न0 576 रकबा 0.17 है0 कुल रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे किसी प्रकार का नवीन निर्माण नही किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:47 IST
Reason: SelfAttested